Lecture No - 01

Name of the College - A.P.S.M. College, Barauni, Begusarai
L.N.M.U. Darbhanga

Name - Dr. - Bharti Kumari (G.T)

Deptt - A.I.H.&C

Lession - Plan - B.A Part II (H) Paper III

Name of the Topic - Village Administration.

Date - 19-06-2021

प्राचीन भारतीय ग्राम - शासन

ग्राम - शासन :- शासन की दृष्टि से प्रत्येक ग्राम अपनी पृथक और स्वतंत्र सत्ता रखता था। 'अर्थशास्त्र' में ग्राम-संस्थाओं के सम्बंध में बहुत सी बातें हैं। प्रत्येक ग्राम का शासक पृथक होता था। अर्थशास्त्र में ग्राम-संस्थाओं के सम्बंध में बहुत सी बातें हैं। प्रत्येक ग्राम का शासक पृथक होता था, और वह ग्रामिक कहलाता था। ग्रामिक ग्राम के अन्य निवासियों के साथ मिलकर अपराधियों को दंड देता था और किसी व्यक्ति को ग्राम से बहिष्कृत भी कर सकता था। ग्राम की अपनी सर्वाधिक निधि भी होती थी। जो जुर्माने ग्रामिक द्वारा किये जाते थे, वे इसी निधि में जमा होते थे, ग्राम की ओर से अनेक सार्वजनिक कार्यों की व्यवस्था भी होती थी। लोगों में मनोरंजन के लिए प्रेक्षाओं (विविध तमाशों) की व्यवस्था की जाती थी, जिनमें सब ग्रामवासियों को हिस्सा बाँटना होता था। जो लोग अपने सार्वजनिक कर्तव्य की उपेक्षा करते थे, उनपर जुर्माना किया जाता था। ग्रामसभा न्याय का भी कार्य करती थी। ग्राम-सभाओं में बनाए गए नियम सामान्य के न्यायालयों में मान्य होते थे। अक्षपटल का अध्यक्ष ग्रामसंघ के धर्म, व्यवहार, चरित्र संस्थान आदि निबंधनपुस्तकस्थ (रजिस्टर्ड) करने के लिए जिम्मेवार था

ग्रामों में न्यायतसं-स्थाओं की सत्ता थी। इस संस्था को ग्रामसंघ कहते थे, और इसके धर्म, व्यवहार, चरित्र आदि 'अक्षपटलाध्यक्ष' द्वारा 'निबंधपुस्तकस्थ' किये जाते थे। इन ग्राम संघ के सदस्यों को 'ग्रामवृद्ध' कहा जाता था। ग्रामवृद्धों द्वारा ही ग्रामसंघ का निर्माण होता था। ये लोग ग्राम के P.T.O.

Scanned with CamScanner

(1) सार्वजनिक हित का काम करते थे।
(2) मनोरंजन की व्यवस्था करते थे।
(3) ग्राम की शोभा बनाए रखते थे।
(4) अपराधियों को दंड देते थे।
(5) उनसे जुरमाने वसूले जाते थे।
(6) नाबालिगों की सम्पत्ति का प्रबंध करते थे।
(7) मंदिर और देवालयों (देवस्थानों) की सम्पत्ति का प्रबंध करते थे।
(8) सड़क या पुल आदि बनवाने का प्रबंध करते थे।

ग्रामसंघ या ग्रामसभा का मुखिया ही ग्रामिक कहलाता था। केन्द्रीय सरकार की ओर से ग्रामशासन के लिए जो कर्मचारी नियुक्त होता था, उसे 'गोप' कहते थे। ग्राम के शासन में गोप की वही स्थिति थी, जो नगर के शासन में 'नागरक' की। 'गोप' ग्रामों की सीमाओं का निर्धारण, जनगणना, भूमि-विभाजन आदि काम करता था।

व्यवसायी संगठन :- मौर्यकाल में व्यवसायी और शिल्पी श्रेणियों (guilds) में संगठित थे। ये श्रेणियाँ अपने नियम स्वयं बनाती थी और अपने संघ में सम्मिलित शिल्पियों के जीवन और कार्य पर कठोर नियंत्रण रखती थी। इनका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। इनके नियम, व्यवहार, चरित्र आदि भी राजा की ओर से स्वीकृत किए जाते थे। स्थानीय शासन की इन विशेषताओं को देखने से स्पष्ट है कि सम्राट की निरंकुशता का अधिक विशेष असर नहीं होता था।

भारती कुमारी
A.D.M. LC
Date - 19-06-2021